स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजी काल के संघर्ष

महंत रघुवरदास और ब्रिटिश अदालत

अंग्रेजी हुकुमत के दौरान महंत रघुवरदास ने 1885 में वाद संख्या 61/280 के अनुसार फैजाबाद की एक अदालत में रामचबूतरे के ऊपर बने कच्चे झोपड़े को पक्का करने की अनुमति मांगी थी लेकिन सबजज फैजाबाद पंडित हरीकिशन ने अनुमति नहीं दी, वाद निरस्त कर दिया। उसी दिन महंत रघुवरदास ने 24 दिसम्बर, 1885 को जिला जज कर्नल जे. ई. ए. चैमियार की अदालत में अपील की। कर्नल चैमियार ने स्थान का स्वयं निरीक्षण किया और यह कहकर अपील खारिज की कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मस्जिद का निर्माण हिन्दुओं के एक पवित्र स्थान पर बने भवन को तोड़कर किया गया है। चूंकि यह घटना 356 वर्ष पुरानी है इसलिए इसमें कुछ करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के मध्य खाई को और अधिक गहरा किया। हालांकि महंत रघुवरदास ने हार नहीं मानी। जुडिशियल कमिश्नर लखनऊ ए. डब्ल्यू. यंग से अपील की। उन्होंने भी हिन्दू मुसलमानों के मध्य विवाद बनाये रखने की भावना से अपील खारिज कर दी।

बहादुर शाह जफर की भूमिका एवं स्वातन्त्र्य समर तथा अमीर अली एवं बाबा रामचरण दास का संयुक्त प्रयास और उनको फाँसी

अवध के नवाब सआदत अली (1773-1836) के समय में हिन्दुओं को जन्मस्थान की प्राप्ति के लिए ये युद्ध अमेठी नरेश गुरुदत्त सिंह तथा पिपरा के राजकुमार सिंह ने लड़े। परेशान होकर नवाब ने हिन्दू और मुसलमान को साथ-साथ पूजन एवं नमाज की अनुमति दी। तत्पश्चात नवाब वाजिद अली शाह (1847-1856) के काल में सम्पूर्ण जन्मस्थान को प्राप्त करने के लिए चार बार युद्ध किए। इनका नेतृत्व बाबा उद्धवदास तथा भाटी नरेश ने किया। मुसलमानों ने वाजिद अली शाह को मस्जिद पर आक्रमण की अर्जी दी जिस पर उन्होंने लिखा--

हम इश्क के बन्दे है, मजहब से नहीं वाकिफ।
गर काबा हुआ तो क्या, बुतखाना हुआ तो क्या ?

फिर भी युद्ध और आक्रमणों की लम्बी परम्परा को समाप्त करने के लिए एवं निष्पक्ष निर्णय के लिए तीन सदस्यीय कमीशन बैठाया गया जिसने महंतों के पक्ष में निर्णय दिया। कमीशन में हिन्दू, मुसलमान तथा एक प्रतिनिधि ईस्ट इण्डिया कंपनी का था। लार्ड डलहौजी ने उनकी इस न्याय के लिए प्रशंसा भी की; परन्तु मुसलमान संतुष्ट न हुए और अमेठी के मौलवी अमीर अली ने आक्रमण किया। नवाब के मना करने के बाद भी वह नहीं माना। उसके रुदौली के पास शुजागंज पर धाबा बोला। इसके बाद बादशाह तख्त से उतार दिए गए और नवाबी का अंत हो गयां 1857 में अंग्रेजों का अवध पर कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए ढांचे के चारों ओर रेलिंग लगा दी तथा तीन गुम्बदों वाले ढांचे और राम चबूतरे के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। परिणामतः हिन्दुओं को अपनी पूजा बाहर करने की लाचारी हो गयी; परन्तु

हजारों प्रयास के बाद भी हिन्दुओं ने वहां पूजा करना नहीं छोड़ा।

1857 का स्वातन्त्र्य समर जहां राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने के महत्वपूर्ण है, वहीं राम जन्मभूमि संघर्ष में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस वर्ष यह विषय लगभग समाप्त हो गया था। क्योंकि जब 1857 में सम्पूर्ण समाज ने (हिन्दू समाज सहित) बहादुरशाह जफर को सम्राट मान लिया तो अयोध्या के राजा देवी बख्स सिंह, गोण्डा नरेश तथा विद्रोही नेता महंत रामचरण दास ने उनके समर्थन में तथा अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह बागडोर संभाल ली और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। उस समय के बागी मुस्लिम नेता अमीर अली ने अपने समर्थक मुसलमानों से कहा कि "विराहराने वतन ! मुल्क की आजादी को कायम रखने, बेगमों के जेवरात तथा हमारी जान-माल की हिफाजत करने में हिन्दू भाइयों ने अंग्रेजों से लड़कर जिस प्रकार की बहादुरी दिखाई उसे हम भूल नहीं सकते। इसलिए फर्जे इलाही हमें मजबूर करता है कि हिन्दुओं के खुदा रामचन्द्र की पैदाइशी जगह पर जो बाबरी मस्जिद बनी है वह हम हिन्दुओं को बाखुशी सुपुर्द कर दें क्योंकि हिन्दू मुस्लिम नाइत्तफाकी की सबसे बड़ी जड़ यही है और ऐसा करके हम हिन्दुओं के दिल पर फतहपा जायेंगे। इस तरह श्रीराम जन्मभूमि हिन्दुओं को सौंपने का बाखुशी फैसला हो गया; परन्तु इस समाचार से अंग्रेजों की बैचेनी बढ़ गयी। सुल्तानपुर गजेटियर के पृष्ठ 36 पर कर्नल मार्टिन ने लिखा है कि-- अयोध्या की बाबरी मस्जिद हिन्दुओं को (मुसलमानों द्वारा) वापस देने की खबर से हममें (अंग्रेजों में) घबराहट फैल गयी और यह लगने लगा कि हिन्दुस्थान से अंग्रेज खत्म हो जायेंगे।

संयोग से 1857 की क्रान्ति परिणामकारी नहीं हुयी। अंग्रेजों ने हिन्दू-मुस्लिम विवाद को समाप्त कराने वाले निरपराध बाबा रामचरण दास एवं अमीर अली को 18 मार्च, 1858 को कुबेर टीला में इमली के पेड़ से लटकाकर कड़ी सुरक्षा के बीच फांसी दे दी। वर्षों तक हिन्दू समाज उस इमली के पेड़ की पूजा और परिक्रमा करता रहा। मार्टिन इस सन्दर्भ में कहते हैं कि "इससे फैजाबाद के बलवाइयों की कमर टूट गयी और तमाम फेजाबाद जिले में हमारा रौब गालिब हो गया।" कालान्तर में अंग्रेजों ने योजनापूर्वक उस इमली के पेड़ को भी कटवा दिया जो उनकी क्रूरता की कहानी कहता था और अंग्रेज हिन्दू-मुसलमानों के बीच एक खाई खोदने में सफल हो गए।

1934 का संघर्ष

वर्ष 1934 श्रीराम जन्मस्थान संघर्ष का ऐसा समय है जब से मुसलमान वहाँ गए ही नहीं। अयोध्या में 1934 में एक गाय काट देने के कारण हिन्दू समाज में बड़ा जबरदस्त आक्रोश फैल गया। आक्रोशित हिन्दू समाज का गौ हत्यारों से संघर्ष हुआ। गौ हत्यारों को अपनी जान देनी पड़ी, कुछ हिन्दुओं ने भी बलिदान दिया। इतना ही नहीं आक्रोश से उत्तेजित हिन्दू समाज ने कथित बाबरी ढांचे पर आक्रमण करके इसके तीन गुम्बदों को क्षतिग्रस्त करके सम्पूर्ण परिसर को अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेजों की चाल के कारण हिन्दू समाज का कब्जा ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। क्षतिग्रस्त गुम्बदों की मरम्मत कराने के लिए अंग्रेजों ने हिन्दुओं से टैक्स वसूला। इस घटना के पश्चात कोई भी मुसलमान जन्मभूमि परिसर में नमाज पढ़ना तो दूर जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा सका। 22-23 दिसम्बर, 1949 में भगवान के प्राकट्य के पश्चात तो वहाँ विधिवत त्रिकाल पूजन आरती भोग हो रहा है।

रामलला का प्राकट्य

ठाकुर गुरुदत्त सिंह
तत्कालीन मानद सिटी मजिस्ट्रेट

स्व. के.के. नायर
तत्कालीन जिलाधिकारी

समाज की श्रद्धा और इस स्थान को प्राप्त करने के सतत् संघर्ष का रूप आजादी के बाद 22 दिसम्बर, 1949 की अर्द्धरात्रि को देखने को मिला, जब ढांचे के अन्दर भगवान प्रकट हुए। पंडित जवाहर लाल नेहरू उस सयम देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत और फेजाबाद के कलेक्टर के. के. नायर थे। स्थानीय प्रशासन नें ढांचे के सामने की दीवार में लोहे की सींखचों वाला दरवाजा लगवाकर ताला डलवा दिया, भगवान की पूजा के लिए पुजारी नियुक्त हुआ। पुजारी रोज सवेरे शाम भगवान की पूजा के लिए भीतर जाता था। भक्तजन ताले के बाहर से पूजा करते थे, अनेक श्रद्धालु वहाँ कीर्तन करने बैठ गए, जो 6 दिसम्बर, 1992 तक उसी स्थान पर होता रहा।

भगवान के प्राकट्य के बाद अदालत में दायर वाद

प्रथम वाद श्री गोपाल सिंह विशारद द्वारा सिविल जज फैजाबाद के यहां (वाद संख्या 2/1950) इस मांग के साथ दायर किया गया कि वादी को भगवान् के निकट जाकर दर्शन, पूजन का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। इसमें कोई बाधा अथवा विवाद न हो साथ ही ऐसी निषेधाज्ञा जारी की जाए जिससे भगवान् को कोई उनके वर्तमान स्थान से हटा न सके।

द्वितीय वाद परमहंस श्री रामचन्द्रदास द्वारा (वाद संख्या 25/1950) लगभग उपरोक्त भावना के आधार पर किया गया। श्री गोपाल सिंह विशारद के वाद में निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने अन्तरिम निर्णय देकर श्रीरामलला को उसी स्थान पर विराजमान रहने तथा हिन्दुओं को उनकी पूजा-अर्चा, आरती, भोग निर्बाध जारी रखने का आदेश दिया तथा एक रिसीवर नियुक्त कर दिया। इस अन्तरिम आदेश की पुष्टि अप्रैल 1955 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कर दी गयी।

तृतीय वाद निर्मोही अखाड़ा द्वारा (वाद संख्या 26/1959) दायर कर के मांग की गई कि रिसीवर को मुक्त करके जन्मस्थान मंदिर की पूजा व्यवस्था का दायित्व निर्मोही अखाड़ा को सौंपा जाये

चतुर्थ वाद सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा (वाद संख्या 12/1961) भगवान् श्रीरामलला के प्राकट्य से 11 वर्ष 11 माह तथा 26 दिन पश्चात् दायर किया गया। इसमें उन्होंने भगवान् के प्राकट्य स्थल को मस्जिद घोषित करने, पूजन सामग्री हटाने और उस स्थान के चारों ओर के भू भाग को कब्रिस्तान घोषित करने की मांग की थी। फरवरी 1996 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान संबंधी अपनी प्रार्थना को इसलिए वापस ले लिया कि कब्रिस्तान में मस्जिद नहीं बनाई जा सकती और न ही मस्जिद के पास कब्रिस्तान हो सकता है। अपने सरासर झूठ के कारण पराजय का आभास हुआ तभी कब्रिस्तान घोषित करने की प्रार्थना वापस ली। अब विचार केवल प्राकट्य स्थल का रह गया

पंचम वाद न्यायाधीश श्री देवकीनंदन अग्रवाल द्वारा 1 जुलाई 1989 को इस आशय के साथ दायर किया गया कि भारत के कानून में प्रावधान है कि मन्दिर में विराजमान देव विग्रह जीवित है, आवश्यकता पड़ने पर वह अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकता है। मुकदमा लड़ने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है। अतः न्यायालय ने विराजमान श्रीरामलला का मुकदमा लड़ने के लिए न्यायाधीश श्री देवकीनंदन अग्रवाल को उनका अभिन्न सखा (NEXT FRIEND) के रूप में अधिकृत कर दिया। इस वाद में अदालत से मांग की गयी कि श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या का संपूर्ण परिसर वादी (देव विग्रह) का है। अतः श्रीराम जन्मभूमि पर नया मंदिर बनाने का विरोध करनेवाले अथवा इसमें किसी प्रकार आपत्ति या बाधा खड़ी करने वाले प्रतिवादियों के विरुद्ध स्थाई स्थगन आदेश जारी किया जाए।

7 अक्टूबर, 1984 से 6 दिसम्बर, 1992 तक का 77 वाँ लोकतांत्रिक चरणबद्ध संघर्ष

प्रथम चरण

★ मार्च, 1983 में मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन।

★ मा0 गुलजारी लाल नन्दा एवं मा0 दाऊदयाल खन्ना की विशेष उपस्थिति।

★ मा0 दाऊदयाल खन्ना जी द्वारा अयोध्या, मथुरा, काशी के तीनों धर्मस्थानों की मुक्ति की मांग।

★ मा0 दाऊदयाल खन्ना जी द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी से पत्र द्वारा तीनों स्थानों की मुक्ति का आग्रह

★ अप्रैल, 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रथम धर्मसंसद का अधिवेशन, 575 पूज्य धर्माचार्यों की उपस्थिति

★ मा0 दाऊदयाल खन्ना जी द्वारा पुनः प्रस्ताव द्वारा तीनों धर्मस्थानों की मुक्ति की मांग - प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

★ श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन - अध्यक्ष - गोरक्षपीठाधिपति पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, महामंत्री - मा0 दाऊदयाल जी खन्ना, मंत्री-मा0 ओंकार जी भावे, श्री महेशनारायण सिंह, श्री दिनेश त्यागी जी

★ श्रीराम जन्मभूमि पर लगे गैर कानूनी ताले को खुलवाने के लिए जन जागरण का निर्णय

★ सितम्बर, 1984 में सीतामढ़ी (बिहार) से श्रीराम जानकी रथयात्रा प्रारम्भ

★ 7 अक्टूबर, 1984 को अयोध्या में सरयू के किनारे ताला खुलवाने के लिए संकल्प सभा का आयोजन, उपस्थिति लगभग 20,000 सन्त एवं भक्त

★ 8 अक्टूबर, 1984 से लखनऊ के लिए पदयात्रा प्रारम्भ

★ 14 अक्टूबर, 1984 को लखनऊ में उर्मिला वाटिका (बेगम हजरत महल पार्क) में विराट धर्मसभा - उपस्थिति लगभग पांच लाख

★ 15 अक्टूबर, 1984 से श्रीराम जानकी रथ यात्रा का दिल्ली की ओर प्रस्थान

★ अक्टूबर, 1984 में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या - अभियान स्थगित - रथ गाजियाबाद में

★ विजयादशमी 1985 में पुनः 6 श्रीराम जानकी रथ यात्राएँ प्रारम्भ - अभूतपूर्व जनजागरण

★ अक्टूबर, 1985 में द्वितीय धर्मसंसद उडुप्पी (कर्नाटक) में 850 पूज्य धर्माचार्यों की उपस्थिति

★ संतों द्वारा महाशिवरात्रि 1986 तक ताला न खोलने पर अयोध्या में सत्याग्रह का निर्णय

★ दिगम्बर अखाड़े के श्रीमहंत पूज्य परमहंस रामचन्द्रदास जी महाराज द्वारा उक्त तिथि तक ताला न खोलने पर आत्मदाह की घोषणा।

★ 1 फरवरी, 1986 को जिला न्यायाधीश श्री के. एम. पाण्डेय ने ताला खोलने का आदेश दिया और उसी दिन शासन ने ताला तोड़ा।

द्वितीय चरण

- ★ पूज्य सन्तों का विचार - हमारा अभीष्ट केवल ताला खुलवाना नहीं है, हम चाहते हैं कि आक्रान्ताओं द्वारा जो अपमान हुआ है उसका परिमार्जन हो अतः वहाँ पर पुनः मन्दिर बने।
- ★ श्रीराम जन्मभूमि न्यास का गठन - मन्दिर के प्रारुप का चयन।
- ★ जनवरी, 1989 में प्रयागराज महाकुम्भ के अवसर पर तृतीय धर्मसंसद का आयोजन। ***पूज्य देवराहा बाबा जी की मंगलमय उपस्थिति।*** 10,000 सन्त तथा लाखों भक्त उपस्थित थे।
- ★ शिलापूजन कार्यक्रम - उद्देश्य जन जागरण एवं मन्दिर निर्माण के लिए धन संग्रह।

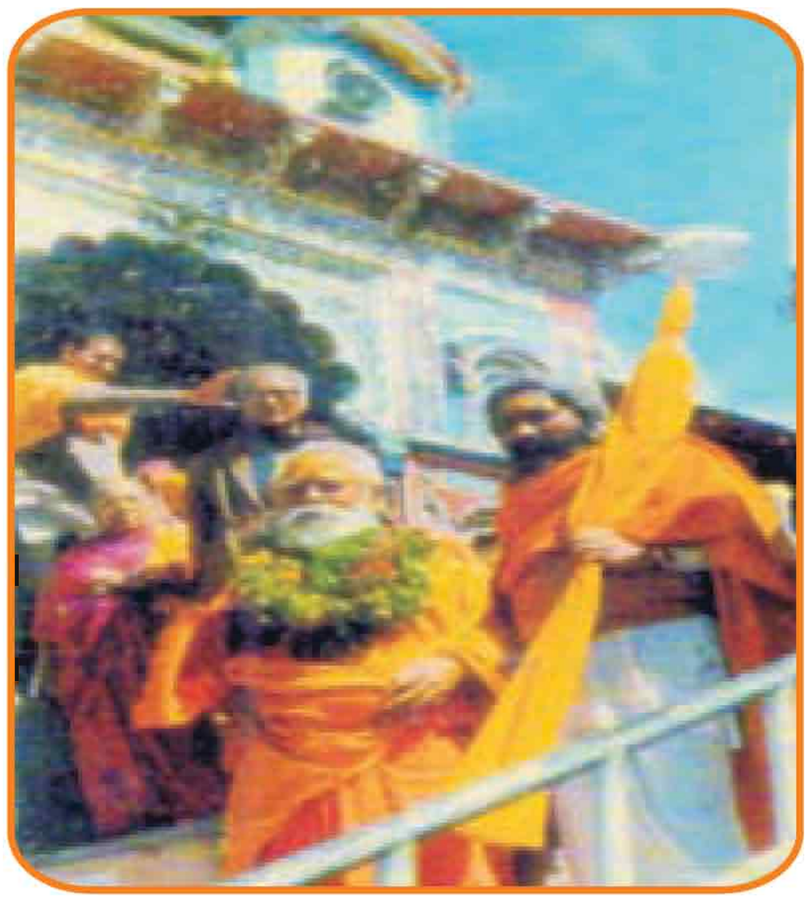

प.पू. शांतानंद जी महराज एवं श्री ठेंगड़ी जी द्वारा बद्रीनाथ में प्रथम शिला पूजन

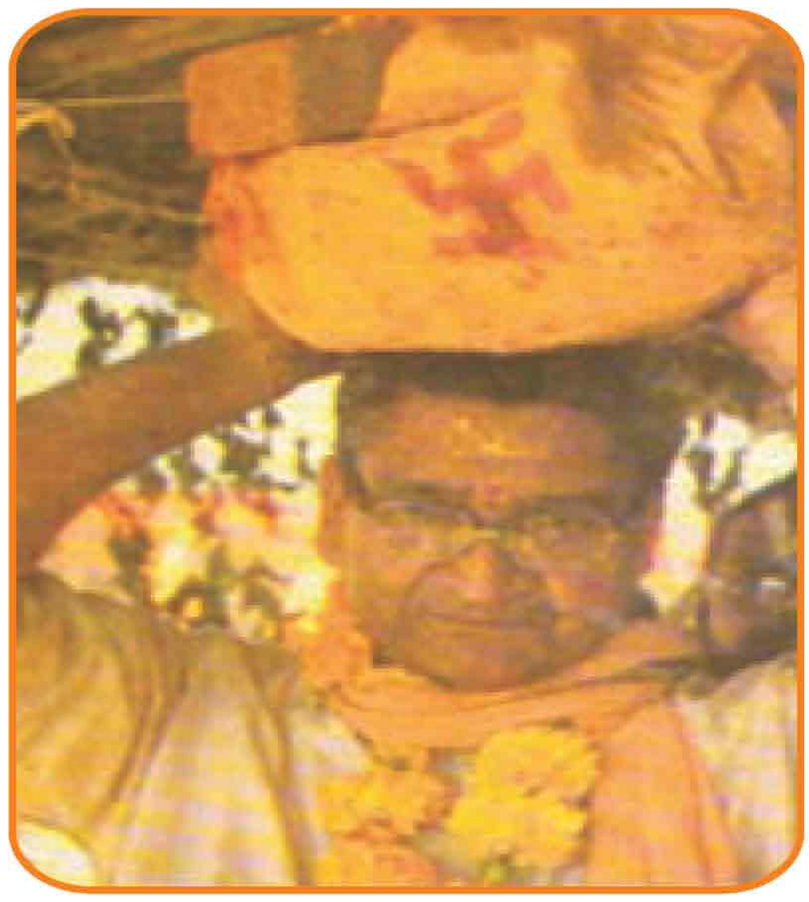

मा० अशोक सिंहल द्वारा शिला पूजन

- ★ प्रत्येक ग्राम से एक शिला एवं प्रत्येक व्यक्ति से सवा रूपया
- ★ 2.75 लाख ग्रामों में 6 करोड़ व्यक्तियों ने पूजन किया
- ★ 9 नवम्बर, 1989 को शिलान्यास की घोषणा
- ★ 16 व 18 अक्टूबर को मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा शिलान्यास रोकने के लिए दायर किए गए दोनों प्रार्थना पत्र लखनऊ पूर्णपीठ द्वारा अस्वीकार।
- ★ मुस्लिम पक्ष ने शिलान्यास रोकने का आदेश प्राप्त करने के लिए दो याचिकाएं (1137 तथा 1152) 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की
- ★ 27 अक्टूबर, 1989 को दोनों याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया
- ★ 8 नवम्बर, 1989 को गृहमंत्री बूटा सिंह व सैयद शहाबुद्दीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी, अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं प्रदेश के महाधिवक्ता की बैठक लखनऊ में।
- ★ निर्णय - शिलान्यास स्थल सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले मुकदमे में विवादित भूमि की सीमा के बाहर है अतः शिलान्यास नियत समय एवं नियत स्थान पर ही होगा।
- ★ 9 नवम्बर, 1989 को शिलान्यास स्थल पर खुदाई प्रारम्भ।
- ★ 10 नवम्बर, 1989 को बिहार के दलित बंधु कामेश्वर चौपाल द्वारा। शिलान्यास हजारों सन्तों एवं भक्तों की उपस्थिति में वेद मंत्रों एवं शंख ध्वनि के मध्य सम्पन्न हुआ।

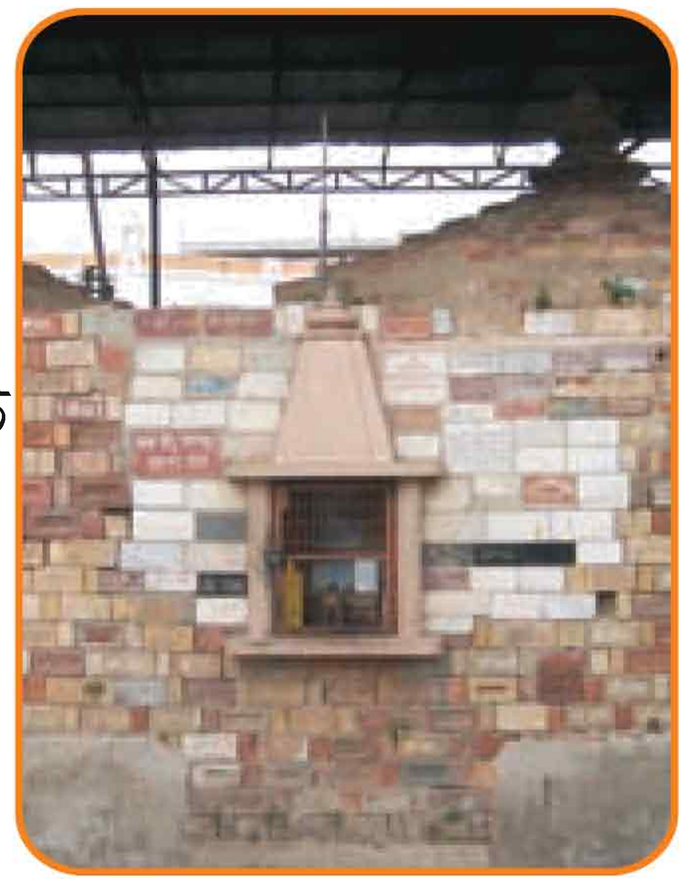

अयोध्या में एकत्रित पूजित श्री राम शिलाएं

सिंह द्वार पर शिलान्यास

★ 11 नवम्बर, 1989 को फैजाबाद के जिलाधीश ने सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले मुकदमे में आगे निर्माण कार्य को रोकने का आदेश दिया। निर्माण कार्य के लिए निकले सन्त वापिस आ गए।

★ जनवरी, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को विवाद सुलझाने के लिए सन्तों ने चार माह का समय दिया

श्रीराम ज्योति

तृतीय चरण

★ अगस्त, 1990 में मन्दिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का कार्य प्रारम्भ

★ 23, 24 जून को हरिद्वार के भारत माता मन्दिर में मार्गदर्शक मण्डल की बैठक

★ देवोत्थान एकादशी 30 अक्टूबर, 1990 से मन्दिर निर्माण के लिए कारसेवा की घोषणा

★ पूज्य सन्तों द्वारा हिन्दू समाज का आह्वान कि वह दीपावली में रामज्योति से ही दीपक जलाएं। अयोध्या में अरणि मन्थन से प्राप्त अग्नि से प्रज्वलित राम ज्योति सम्पूर्ण देश में पहुंचाई गई। करोड़ों परिवारों ने राम ज्योति से दीपावली मनाई।

★ उत्तर प्रदेश सरकार ने राम ज्योति को प्रतिबंधित किया, फिर भी राम ज्योति जलती ही गई।

★ कार सेवा रोकने के लिए श्री मुलायम सिंह की गर्वोक्ति - अयोध्या में परिन्दा भी पर नहीं मार सकेगा

★ सितम्बर, 1990 में सोमनाथ से श्री आडवाणी जी द्वारा रथ यात्रा प्रारम्भ।

★ अक्टूबर में अयोध्या की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें एवं बसें रद्द, 40 बटालियन पैरा मिलिट्री फोर्स अयोध्या में तैनात मार्गों में बड़ी-बड़ी खाई खोद दी गई, सरयू की नावें पलट दी गईं, कंटीले तार लगा दिए गए, पुल भी बंद कर दिये गये।

★ 23 अक्टूबर को बिहार में आडवाणी जी गिरफ्तार, अयोध्या छावनी में तब्दील - चप्पे-चप्पे पर पुलिस एवं फौज। पत्रकारों ने कहा कि ढांचे पर यदि ऊपर से भी एक फावड़ा कोई फैंक दे तो कारसेवा मान लेंगे।

★ मुख्यमंत्री की गर्वोक्ति को रामभक्तों ने चुनौती माना, चलो अयोध्या के नारे पर देश भर के लाखों कारसेवक अयोध्याय की ओर चल पड़े।

★ उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ - अन्य प्रान्तों से आए कारसेवक भी गिरफ्तार।

★ प्रत्येक जिले की जेलें कारसेवकों से भर गईं - इन्टर कालेज, मंडी समिति जेल में तब्दील, उसके बाद भी स्थान का अभाव, चप्पा-चप्पा राममय हो गया। दम्भी उत्तर प्रदेश शासन पंगु हो गया।

★ ग्राम-2 में कारसेवकों का स्वागत, भोजन- जलपान- आवास की व्यवस्था जंगल में भी, श्रीराम की प्रेरणा से हुई।

★ 30 अक्टूबर कारसेवा का दिन समाज में जिज्ञासा, क्या हिन्दू नेतृत्व व समाज कुछ कर सकेगा? क्या कार सेवा होगी? जिज्ञासा का समाधान - पूज्य स्वामी वामदेव जी, मा0 अशोक जी सिंहल एवं श्री श्रीशचन्द्र जी दीक्षित कारसेवा करने के लिए अयोध्या ही नहीं ढांचे तक पहुंच गए। अचानक एक बस ने सभी बाधाओं को तोड़ते हुए जन्मभूमि के पास कारसेवकों के साथ पहुंच गई, कारसेवा प्रारम्भ।

★ 30 अक्टूबर को अयोध्या में कारसेवा के सजीव दृश्य समाचार माध्यमों से दुनिया ने देखे - श्री मुलायम सिंह की किलेबंदी ध्वस्त हो गई। कारसेवा के लिए उत्साहित कारसेवक ढांचे पर चढ़ गए, ध्वज फहरा दिया, पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग होने लगी और बलिदान प्रारम्भ हो गया। मा0 अशोक सिंहल भी कारसेवा में घायल हो गए, उस दिन तीन कारसेवकों का बलिदान हुआ।

कारसेवा के लिए पैदल चलकर आते कारसेवक

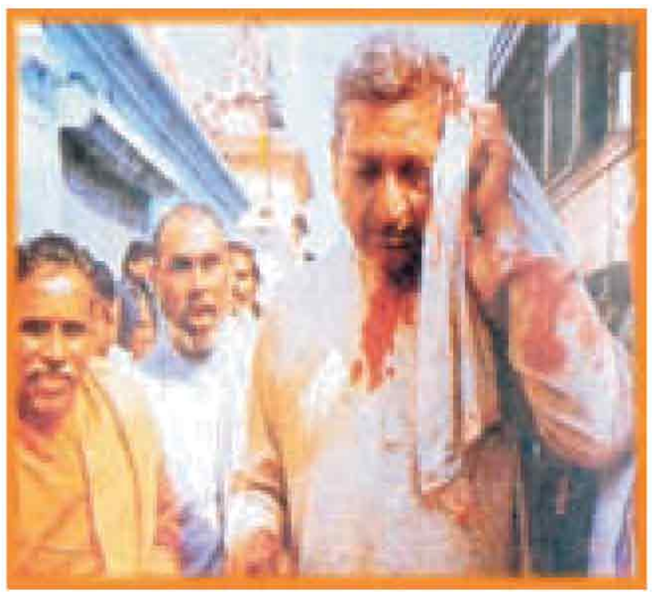

कारसेवा में घायल अशोक सिंहल

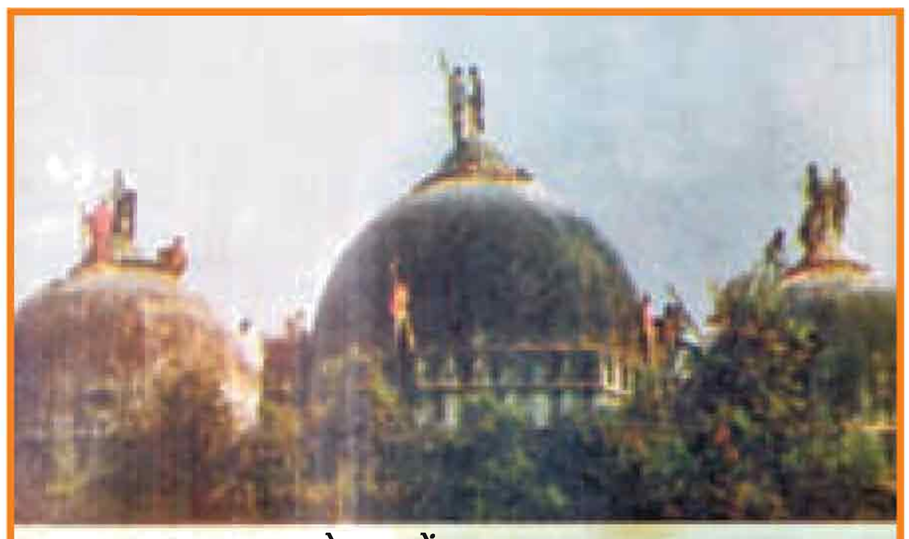

30 अक्टूबर 1990 को गुम्बदों पर चढकर भगवा ध्वज फहराया

★ 31 अक्टूबर एवं 1 नवम्बर को विश्राम रखा गया। पराजित प्रशासन ने कारसेवकों से प्रतिशोध लेने की योजना बनाई।

★ 3 नवम्बर को पुनः कारसेवा के लिए कारसेवक निकले, रोकने पर रामधुन करने लगे। तभी पूर्व नियोजित नरसंहार के षडयंत्र का क्रियान्वयन। अचानक रामधुन कर रहे कारसेवकों पर गोलियों की बौछार। कोठारी बन्धु सहित अनेकों कारसेवक हुतात्मा हो गये।

★ सम्पूर्ण प्रकरण पर समर्थन वापस लेने के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार का पतन हुआ। अयोध्या पहुंचे कारसेवक रामलला के दर्शन करके ही वापस लौटे। मन्दिर निर्माण हेतु 40 दिन का सत्याग्रह चला जो कि एक कीर्तिमान है। कारसेवकों की अस्थिकलश यात्राएं प्रारम्भ, देशभर में श्रद्धासुमन अर्पित। जनवरी 1991 में माघ मेला के अवसर पर प्रयागराज में कारसेवकों की अस्थियों का विसर्जन।

महारैली, नई दिल्ली

★ 4 अप्रैल 1991 विश्व हिन्दू परिषद द्वारा दिल्ली में महारैली का आयोजन 25 लाख की ऐतिहासिक उपस्थिति। उ.प्र. की मुलायम सिंह सरकार का उसी दिन पतन हुआ।

चतुर्थ चरण

★ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के पतन के पश्चात श्री चन्द्रशेखर सिंह जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री द्वारा वार्ता का सुझाव - सभी को स्वीकार। 1 दिसम्बर, 1990 को विश्व हिन्दू परिषद - बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी एवं सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वार्ता प्रारम्भ।
वार्ताओं का दौर 25 जनवरी 1991 तक चला (वार्ता का विस्तृत विवरण अलग पृष्ठ पर)

★ देश में आम चुनाव नरसिंह राव प्रधानमंत्री बनें, जून 1992 में ढांचे के सामने समतलीकरण, अनेकों प्राचीन मंदिर के अवशेष प्राप्त।

★ जुलाई 1992 सर्वदेव अनुष्ठान एवं मंदिर के चबूतरे का निर्माण, प्रधानमंत्री द्वारा संतो से काम रोकने का निवेदन, कारसेवा का स्थानांतरण शेषावतार मंदिर की ओर।

सर्वदेव अनुष्ठान

★ सम्पूर्ण देश में विजयादशमी 6 अक्टूबर 1992 से दीपावली 25 अक्टूबर तक श्री राम चरण पादुका पूजन कार्यक्रम हुआ। जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में कारसेवको की भर्ती की गई।

★ 30 अक्टूबर, 1992 को दिल्ली में सम्पन्न पंचम धर्मसंसद में 6 दिसम्बर, 1992 को पुनः कारसेवा की घोषणा हुई।

★ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूखण्ड 2.77 एकड़ के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का निर्णय 6 दिसम्बर, 1992 के पूर्व आने की अपेक्षा थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवम्बर को सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि वह स्वयं आदेश जारी कर उच्च न्यायालय को शीघ्र निर्णय देने के लिए प्रेरित करे।
सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आशय का आदेश भी दिया

★ परन्तु उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय 11 दिसम्बर, 1992 को सुनाने की तिथि घोषित की।
प्रथम कार सेवा में मार्गों के अवरुद्ध हो जाने के अनुभव के

★ कारण अयोध्या में लाखों कारसेवक नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में ही पहुंच गए। कारसेवकों की संख्या गिनती के बाहर हो गई, देश के जिस भाग में जहाँ कारसेवक थे, उनको वहीं रोक दिया गया। किन्तु 6 दिसम्बर को कारसेवा को टाला नहीं जा सकता था यही ईश्वरीय इच्छा थी।

चरण पादुका पूजन नंदीग्राम

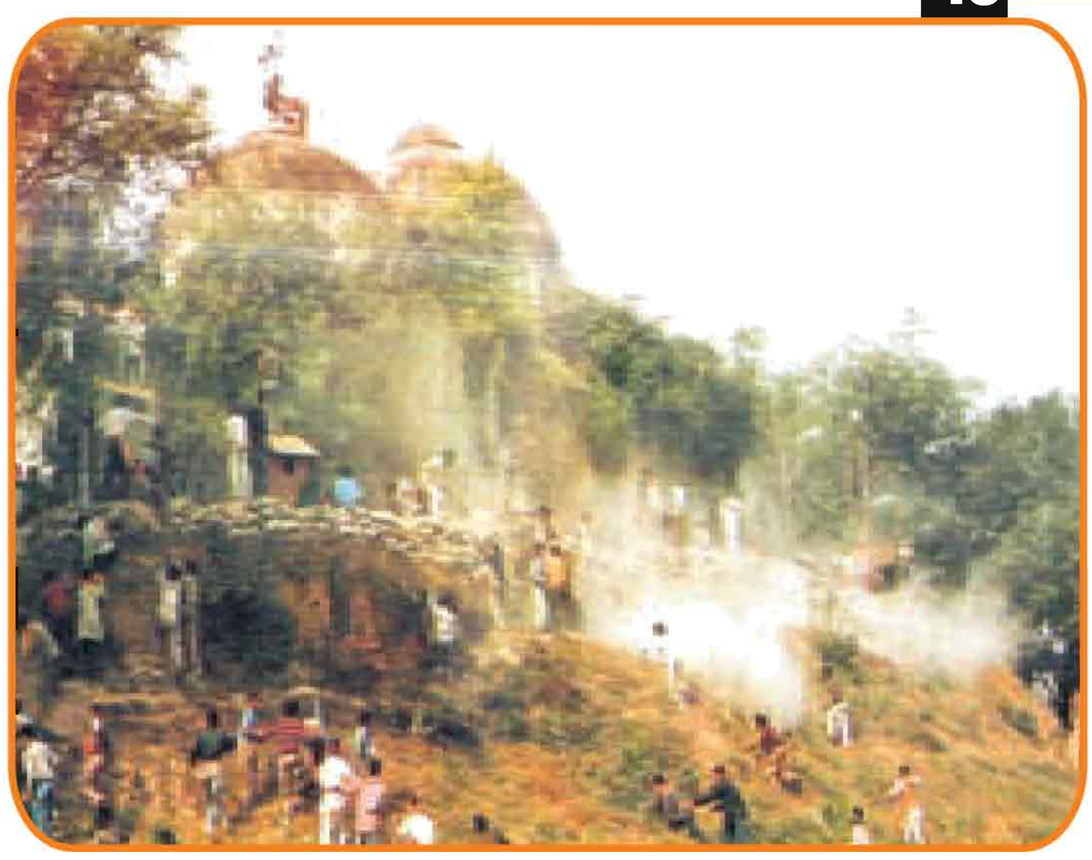

कारसेवा 6 दिसम्बर, 1992

★ इतिहास अचानक घटित होता है न कि योजनापूर्वक बनाया जाता है
लोगों ने कहा अब हिन्दू कायर नहीं रहा, वह अपमान का परिमार्जन करना जानता है।

★ सम्पूर्ण ढांचा 5 घण्टे में सरयू में प्रवाहित हो गया।

★ 7 दिसम्बर को कारसेवकों ने आनन-फानन में तिरपाल (कैनवास) का मन्दिर बनाया और पुनः वहाँ रामलला विराजमान हो गए

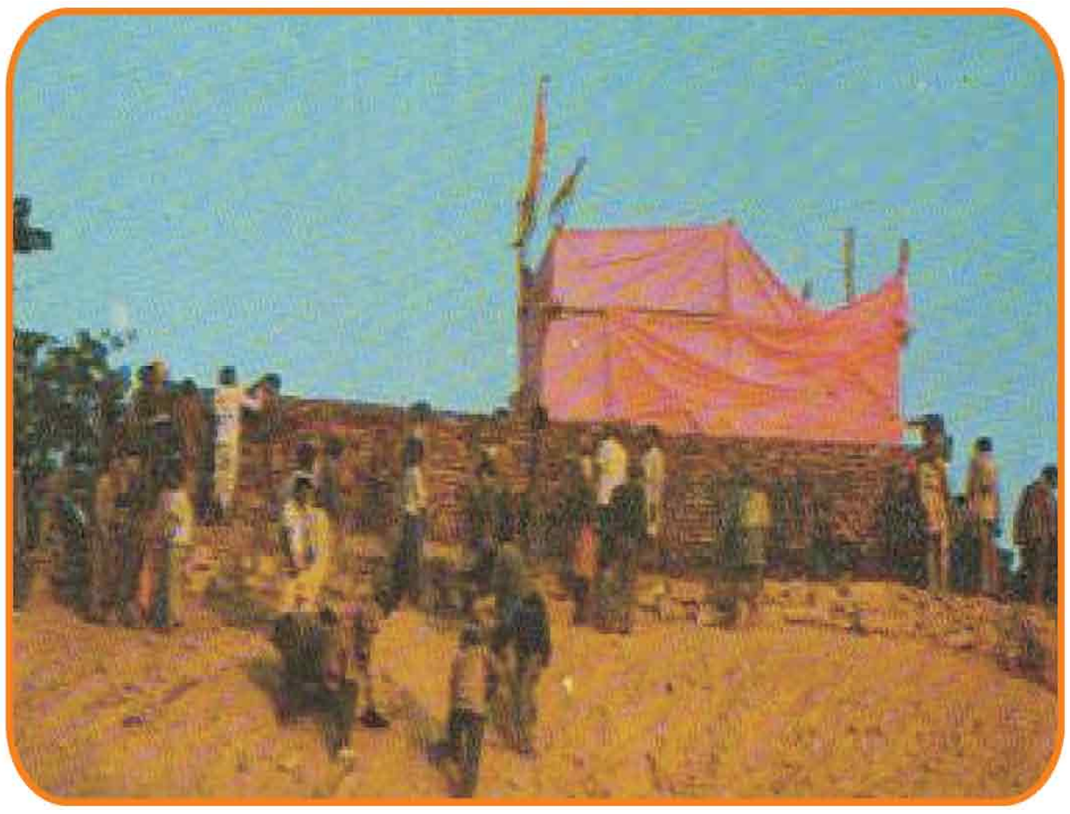

अस्थाई मंदिर का बाह्य दृश्य

अस्थाई मंदिर में विराजमान श्री रामलला

★ 8 दिसम्बर, 1992 को ब्रह्म मुहुर्त में केन्द्रीय सुरक्षा बलों ने सम्पूर्ण परिसर को अपने अधीन कर लिया। सुरक्षा बलों की देखरेख में पुजारी द्वारा पूजा होने लगी।

★ 21 दिसम्बर, 1992 को श्री हरीशंकर जैन अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर न्यायमूर्ति श्री हरिहरनाथ तिलहरी एवं न्यायमूर्ति श्री ए. एन. गुप्ता की खण्डपीठ ने 1 जनवरी, 1993 को अपने निर्णय द्वारा हिन्दू समाज को आरती, दर्शन, पूजा-भोग का अधिकार दे दिया।

★ खण्डपीठ ने विराजमान रामलला की सुरक्षा, पूजा उपकरणों की सुरक्षा, शीत, गर्मी, धूप, वर्षा से उनकी सुरक्षा का भी आदेश दिया।